

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 197] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 1970/कार्तिक 28, 1892
No. 197] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 1970/KARTIKA 28, 1892

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November 1970

G.S.R. 1928.—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (86 of 1949), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Reserve Police Force Rules, 1955, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Reserve Police Force (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Reserve Police Force Rules, 1955, in clause (iv) of sub-rule (4) of rule 103, for sub-clauses (b) and (c), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—

“(b) must hold

(i) a first class or second class Bachelor's degree of a recognised university,

(ii) a third class Bachelor's degree plus National Cadet Corps 'B' certificate or 'C' certificate or outstanding sports or athletic certificate, or

(iii) a degree in Tele-communication Engineering of a recognised university;

(c) must satisfy the minimum physical standards, namely: height 165 Cms; chest 81 Cms (unexpanded) 86 Cms (expanded); weight: 50 Kgs; eye-sight (with or without glasses): distant vision 6/6 in one eye and 6/9 in the other eye; near vision 0.6 in one eye and 0.8 in the other eye; candidates should not have knock-knees or flat foot;”

[No. RIX-1/69-Ests(CRP)-9086-GPA.I.]

R. VENKATARAMAN, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 1970

सां. कां. नि० 1928.— केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल नियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) ये नियम केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल (द्वितीय संशोधन) नियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल नियम, 1955 में नियम 105 के उपनियम (4) के खण्ड (iv) में, उपखण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(ख) उसके पास

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की स्नातक डिग्री,

(ii) तृतीय श्रेणी की स्नातक डिग्री और उसके साथ नेशनल क्रीडेट कौंसिल "बी" प्रमाणपत्र या "सी" प्रमाणपत्र अथवा की.डा. या खेलकूद के उत्कृष्ट प्रमाणपत्र, या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की दूर-संचार इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।

(ग) उसे न्यूनतम शारीरिक मानक पर पूरा उतरना चाहिए अर्थात् ऊंचाई 165 सेंटीमीटर छाती 81 सेंटी० (अन्दर सांस भरे बिना) 86 सेंटी० (सांस भर कर), भार 50 किलोग्राम, नजर (चपे सहित या बिना), दूरस्थ दृष्टि एक आंख की 6/6 और दूसरी आंख की 6/9, निकट दृष्टि, एक आंख की 0.6 और दूसरी आंख की 0.8 अभ्यार्थी संघट्ट जानु या चपटे पैर वाले नहीं होने चाहिए।

सं० आर० [1/69-स्था० (सी आर पी)-9086-जी पी ए-1]

बी वेंकटरमन, संयुक्त सचिव।